

भाग - II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है) प्रस्तावक राज्य क्रम संख्या

7	परियोजना/स्कीम का स्थान	जनपद बाराबंकी में बाराबंकी- देवा मार्ग किमी 0.000 से किमी 12.500 तक दायी पटरी पर (ओ0एफ0सी0) ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाये जाने का कार्य।
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र :-	उ0 प्र0 राज्य
(ii)	जिला :-	बाराबंकी
(iii)	वन प्रभाग:-	सामाजिक वानिकी वन प्रभाग बाराबंकी
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	0.1318 हेक्टेयर
(v)	वन की कानूनी स्थिति:-	संरक्षित वन
(vi)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणी वार वृक्षों की परिगणना, (संलग्न की जाय)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ. आर. एल.-4 मीटर भी संलग्न किये जाए।	कोई वृक्ष बाधक नहीं है।
(vii)	हरियाली का घनत्व	0.2
(viii)	भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	समतल एवं उपजाऊ भूमि होने के कारण वानस्पतिक उपज (घास/झाड़ियों) के फलस्वरूप न्यूनतम संवेदनशील है।
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित सील की वन सीमा	बाराबंकी-देवा मार्ग के किनारे की भूमि संरक्षित वन घोषित है। प्रस्तावित वनेत्तर प्रयोग की भूमि संरक्षित वन क्षेत्र से लगी है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमण्डल, रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबन्धित की जाए)	नहीं
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिगत की दुर्लभ/रकिटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हां/ तो तत्सम्बन्धित ब्यौरा दें?	नहीं
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारस्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो दें।	नहीं
8	उपभोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1, कालम-2 से प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्प के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	न्यूनतम है।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया है (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा।	
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र आस-पास के वन से इसकी दूरी भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बचनबद्धता लागू नहीं है का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है कि सचिव उ0 प्र0 शासन वन अनुभाग-2 के आदेश सं0-3544/14-2-2008 दि0 23.08.2008 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी

		द्वारा प्रभागीय निदेशक सा0 वा0 वन प्रभाग आगरा के अन्तर्गत 20 किमी0 क्षेत्र में वृक्षारोपण करने हेतु वांछित धनराशि प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध करायी जा चुकी है। इस सम्बन्ध में प्रमाण स्वरूप प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रभागीय निदेशक आगरा के पत्र प्रस्तुत किया गया है। इसकी पुष्टि इस कार्यालय में सम्भव नहीं है। अतः अनुरोध है कि नोडल कार्यालय द्वारा इस तथ्य की पुष्टि करा ली जायें।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/ अवक्रमित वन क्षेत्र आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	सा0 वा0 वन प्रभाग आगरा से सूचना अपेक्षित है।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	सा0 वा0 वन प्रभाग आगरा से सूचना अपेक्षित है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिय्यय।	सा0 वा0 वन प्रभाग आगरा से सूचना अपेक्षित है।
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण के सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय)	सा0 वा0 वन प्रभाग आगरा से सूचना अपेक्षित है।
11	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7, 8, व 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्नक करें)	संलग्नक है
12	विभाग/ जिला प्रोफाइल	
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	3891.50 वर्ग किमी. अथवा 389150.00 हे0
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	55.05925 वर्ग किमी0 अथवा 5505.925 हे0
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया वन क्षेत्र	46 मामले, क्षेत्रफल 200.4834544 हे0
(iv)	1980 से जिला/ प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	393.1563088 हे0
	(क) दण्ड के रूप में क्षतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि	रिक्त
	(ख) वनेत्तर भूमि पर	रिक्त
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण से हुई प्रगति	
	(क) वन भूमि पर	321.463734 हे0
	(ख) वनेत्तर भूमि पर	रिक्त
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	विकास कार्य हेतु आवश्यक न्यूनतम संरक्षित वन का प्रयोग वनेत्तर कार्यों के लिए संस्तुति की जाती है। इसके क्रियान्वयन के फलस्वरूप पर्यावरणीय परिस्थितिक क्षति लगभग न्यूनतम है।

दिनांक:

स्थान: - वाराणसी

हस्ताक्षर
प्रभागीय निदेशक
सा० वा० वन प्रभाग
वाराणसी